

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहत्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम० आर० केश नं०- 78/2023-24

—:आदेश:—

अभिलेख आज उपरथापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक- 175, दिनांक- 31.01.2024 से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. कालाचंद हाजरा, 2. सुदर्शन हाजरा, सभी के पिता- स्व० गम्भीर हाजरा, साकिम- पण्डुकी, थाना- बरवाअड़डा, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- काशीटॉड़, मौजा नं०- 93, पुराना खाता सं०- 12, पुराना प्लॉट सं०- 661, नया खाता सं०- 114, नया प्लॉट सं०- 707, रकवा- 05 डिसमील भूमि क्रेता दलबीर पासवान, पिता- बलबीर पासवान, साकिम- नियर विवेकानंद स्कुल परसिया, भागा, पो०- भागा, थाना- झरिया, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के दुसाध हैं तथा विक्रेता थाना- बरवाअड़डा एवं क्रेता थाना- झरिया, जिला- धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास उक्त खाता में 83 डिसमील शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहत्ता,
धनबाद।


भूमि सुधार उप समाहत्ता,
धनबाद।